



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 1281/2024

- 1- धनेश्वर यादव, पिता स्व. ननकीदाऊ यादव, आयु लगभग 26 वर्ष
ग्राम- दिमानी, चौकी- अड़भार, थाना- मालखरोदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- 2- मंगली बाई यादव, पति स्व. ननकीदाऊ यादव, आयु लगभग 63 वर्ष
ग्राम- दिमानी, चौकी- अड़भार, थाना- मालखरोदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना- मालखरोदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अशोक कुमार स्वर्णकार, अधिवक्ताप्रत्यर्थी /राज्य की ओर से : श्री शाकिब अहमद, पैनल अधिवक्ता
-----माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति एवंमाननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीशबोर्ड पर आदेशमुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा,24.06.2025

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत इस दाण्डिक अपील में, अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ति, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 27/2025(छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध धनेश्वर यादव व एक अन्य) में दिनांक 09.05.2024 को पारित आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को वैधता, विधिमान्यता एवं उपयुक्तता को चुनौती दी है। जिसमें दोनों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 34 के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया है।



2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि मृतका राधा बाई का विवाह अभियुक्त धनेश्वर से 16 अप्रैल 2015 को हुआ। अभियुक्त छोटी-छोटी बातों पर मृतका को गाली-गलौज और मारपीट कर प्रताड़ित करता था और उससे मायके से पैसे लाने के लिए कहता था। दिनांक 01.09.2021 को, अभियुक्तों ने मिलकर मृतका राधा बाई के शरीर पर मिट्टी तेल डाला और उसे आग में जला दिया, जिससे उसकी 06.09.2021 को अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के वार्ड बॉय ओमप्रकाश वर्मा (अ.सा.-13) की सूचना पर, गोलबाजार थाना, रायपुर में मृतका की मृत्यु के संबंध में प्रकरण क्रमांक 0/762/2021 (प्रदर्श पी-21) पंजीबद्ध किया गया और शव का शवपरीक्षण किया गया और शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-22) प्राप्त की गई। तत्पश्चात, अभियुक्त के के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख, 302, 34 के अधीन मालखरोद थाना में प्रकरण क्रमांक 15/2022 पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना प्रारंभ की गई। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-4) के अनुसार एक माचिस का डिब्बा जिसमें चार काड़ी थी अभियुक्त धनेश्वर यादव से जब्त की गई। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-5) के अनुसार घटना स्थल से एक चौकोर कंबल, अधजला पैंट, अधजली साड़ी, एक प्लास्टिक स्प्राइट बोतल जब्त की गई। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-6) के अनुसार एक लिफाफे के साथ एक शादी का कार्ड राजेश प्रसाद यादव से जब्त किया गया। मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-17) कार्यपालन दण्डाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया और अभियुक्त धनेश्वर का कथन (प्रदर्श पी-7) दर्ज किया गया। जब्त की गई संपत्ति का रासायनिक परीक्षण करने के बाद न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-31) प्राप्त की गई। घटना स्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-8 और 9) और पटवारी से घटनास्थल पंचनामा (प्रदर्श पी-10) प्राप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी 26 और 27) के अनुसार गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख, 302, 34 के अन्तर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालखरोदा के न्यायालय द्वारा जारी अभ्यर्पण आदेश के अनुसार, यह प्रकरण सत्र विचारण हेतु प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय, सक्ति, जिला-जांजगीर-चांपा के न्यायालय को उपार्पित किया गया।

3. जब अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 34 के अधीन आरोप विरचित किए गए और वैकल्पिक रूप से धारा 304 ख तथा 34 के अधीन भी आरोप विरचित किए गए और उन्हें पढ़कर सुनाया गया, तो उन्होंने अपराध करने से इंकार किया और विचारण चाहा।

4. जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों का परीक्षण कराया गया, तो उन्होंने कथन किया कि राधा बाई ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर स्वयं को आग लगा लिया क्योंकि वह अपने मायके जाने पर अड़ी हुई थी तथा वे निर्दोष हैं। अभियुक्तों की ओर से नारायण दास महंत (ब.सा.-1) और रथराम उर्फ लिट्टू (ब.सा.-2) का बचाव साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया।



5. अभियोजन की ओर से अपने प्रकरण के समर्थन में, अ.सा.-1 गोपीराम, अ.सा.-2 दयामती, अ.सा.-3 राजेश्वर प्रसाद यादव, अ.सा.-4 महादेव यादव, अ.सा.-5 शरणकुंवर यादव, अ.सा.-6 हरिराम यादव, अ.सा.-7 कमलेश गबेल, अ.सा.-8 सुमित्रा यादव, अ.सा.-9 राजेन्द्र यादव, अ.सा.-10 सहायक उप-निरीक्षक नारायण सेन, अ.सा.-11 डॉ. अजीम आलम, अ.सा.-12 नायब तहसीलदार उमंग जैन, अ.सा.-13 वार्ड ब्वाय ओमप्रकाश, अ.सा.-14 डॉ. शिवनारायण मांझी, अ.सा.-15 डॉ. अनिल चौधरी, अ.सा.-16 पटवारी विमलेश कुमार, अ.सा.-17 सहायक उप-निरीक्षक मोहम्मद तस्लीम आरिफ, अ.सा.-18 उप-निरीक्षक नवीन पटेल, अ.सा.-19 उप-निरीक्षक एस.सी. चौहान, अ.सा.-20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार देवांगन, अ.सा.-21 आरक्षक वीरेन्द्र कुमार सांडिल्य का परीक्षण कराया गया। उपरोक्त प्रत्यक्ष साक्षियों के अतिरिक्त, अभियोजन ने 35 दस्तावेज (प्रदर्श पी-1 से पी-35) और शादी के कार्ड की एक प्रतिलिपि (वस्तु- 1) भी प्रस्तुत किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, अभियुक्त-अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। यद्यपि, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व धारा 34 के अधीन सिद्धदोष किया और इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में वर्णीत अनुसार दण्डित किया। इसी आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश को प्रश्नगत करते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार स्वर्णकार का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थीगण को सिद्धदोष किया है, जो पूर्णतया अनुचित है। क्योंकि अभियोजन इसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आगे उनका तर्क है कि अभियोजन के अनुसार, घटना दिनांक 01.09.2021 को घटित हुई और मृतका की मृत्यु दिनांक 06.09.2021 को रायपुर के डी.के.एस. अस्पताल में हुई, परंतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 15.01.2022 को दर्ज की गई, अर्थात् लगभग तीन माह के विलंब के उपरांत, सिर्फ मर्ग सूचना के आधार पर, जबकि कथित मृत्युकालिक कथन दिनांक 02.09.2021 को ही दर्ज कर लिया गया था। अपीलार्थीगण के पास कोई अभियोगात्मक वस्तु नहीं मिला और अभियोजन के अनुसार इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी नहीं है। घटना के समय उपस्थित व्यक्ति ने भी अभियोजन की पूरी कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह भी तर्क किया कि अभियोजन की पूरी दलीलें साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर आधारित हैं, जिनमें अ.सा.-1 गोपीराम (मृतका का मामा), अ.सा.-2 दयामती (मृतका की मामी), अ.सा.-3 राजेश प्रसाद यादव (मृतका का भाई), अ.सा.-4 महादेव यादव (मृतका का पिता), अ.सा.-12 नायब तहसीलदार उमंग जैन, अ.सा.-14 डॉ. शिवनारायण मांझी, अ.सा.-15 डॉ. अनिल चौधरी, अ.सा.-8 सुमित्रा यादव, अ.सा.-9 राजेंद्र यादव, अ.सा.-18 उप-निरीक्षक नवीन



पटेल और अ.सा.-19 उप-निरीक्षक एस.सी. चौहान शामिल हैं। किंतु कुछ साक्षियों ने अपने कथन और पूरी अभियोजन कहानी से मुकर गए और अधिकांश महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो गए, यहाँ तक कि मेमो और बरामदगी के बारे में भी। अतः अभियोजन की कहानी संदिग्ध है और अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

8. श्री स्वर्णकार का तर्क है कि अभिलेख पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिवाय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/17) के ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो उन्हें प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ता हो। साक्षी क्रमांक 7 कमलेश गबेल, जो गांव के सरपंच है, ने विशेष रूप से कथन किया कि घटना के दिन अभियुक्त धनेश्वर तथा उसकी पत्नी, मृतका राधाबाई, आपस में झगड़ रहे थे। जब धनेश्वर की पत्नी राधाबाई से झगड़े का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि उसका पति छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता है, इसलिए वह यहां नहीं रहेगी, वह अपने मायके चली जाएगी। इस साक्षी ने आगे बताया कि सुबह से ही राधाबाई अपने शरीर पर मिट्टी तेल लेकर घूम रही थी। फिर उसने अपने मोबाइल से राधाबाई की अपने पिता से बात करवाई। उसके पिता ने कहा कि अभी कोई बस नहीं है, वह बाद में आएगा। फिर उभयपक्ष को समझा-बुझाकर वे अपने-अपने घरों को चले गए। लगभग 15-20 मिनट बाद अभियुक्त धनेश्वर उसके पास आया और बताया कि मृतका ने स्वयं को आग लगा ली है और दरवाजा बंद कर लिया है। प्रति-परीक्षा में, इस साक्षी ने आगे बताया कि जब उसने राधाबाई को अपने मोबाइल फोन पर उसके माता-पिता से बात करने के लिए कहा, तो उसने अपने माता-पिता से कहा कि यदि धनेश्वर उसे उसके मायके नहीं ले जाता है, तो वह स्वयं को आग लगा लेगी। इस साक्षी ने आगे बताया कि सक्ति के अस्पताल में राधाबाई ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे उसके मायके जाने नहीं दिया, इसलिए उसने स्वयं के ऊपर मिट्टी तेल डाला और स्वयं को आग लगा ली। इस प्रकार, मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/17) विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह विश्वास प्रेरित नहीं करता और अभियुक्त को इस प्रश्नाधीन अपराध की दोषसिद्धि के लिए इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया: (i) उच्चतम न्यायालय का परनागौडा विरुद्ध कर्नाटक राज्य¹; (ii) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सत्यवान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य² तथा (iii) इस न्यायालय के समन्वय पीठ का जयप्रकाश साहू व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य³ अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाए तथा अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए इस आरोप से दोषमुक्त किया जाए।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश का समर्थन किया एवं तर्क किया कि अभियोजन ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को युक्तियुक्त संदेह से

1 2023 एससीसी Online SC 1369

2 2022 एससीसी Online All 443

3 CRA-147-2012 dt. 12.12.2022



परे साबित कर दिया है। आगे उनका तर्क है कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/17) में, मृतका ने स्पष्ट रूप से इस प्रकरण के अभियुक्तों के नाम अपराध के कर्ता के रूप में बताया है, साथ ही अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश गुण-दोष पर आधारित है और इसलिए, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। साथ ही, हमने विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

11. अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि का मुख्य आधार मृतका के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-17) है, जिसे डॉ. अजीम आलम (अ.सा.11) के साक्ष्य से समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने यह प्रमाणित किया है कि "मरीज कथन देने के लिए सक्षम है"। इसके अतिरिक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट उमंग जैन (अ.सा.11) का साक्ष्य, जिन्होंने यह दर्ज किया था, और गोपीराम (अ.सा.1), दयामती (अ.सा.2), राजेश्वर प्रसाद यादव (अ.सा.3) के साक्ष्य भी हैं, जिन्होंने विशेष रूप से कथन किया है कि मृतका ने उनसे कहा था कि अभियुक्त ने उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाया था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त धनेश्वर यादव के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-7) को भी आधार बनाया गया है, यद्यपि राजेश्वर प्रसाद यादव (अ.सा.3) और राजेंद्र प्रसाद यादव (अ.सा.9) मेमोरेंडम व जप्ती साक्षियों ने इसका समर्थन नहीं किया है।

12. प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कि मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी, न्यायोचित था?

13. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विशेष रूप से डॉ. शिवनारायण मांझी (अ.सा.14) के कथन का अवलंब लेते हुए, जिन्होंने मृतका का शवपरीक्षण किया था और यह अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण जलने की चोटों और उनकी जटिलताओं के कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर था, और मृत्यु शवपरीक्षण से 24 घंटे के भीतर हुई थी, यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जो न तो त्रुटिपूर्ण है और न ही अभिलेख के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने इस पर गंभीरता से आपत्ति नहीं जताई है। अतः हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।



14. इस स्तर पर, साक्ष्य अधिनियम के धारा 32 (1) को विचार में रखना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

32. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है. जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि – सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत हैं—

1) जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

XXX XXX XXX

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में उल्लिखित साक्ष्य की ग्राह्यता का सामान्य आधार यह है कि प्रश्नाधीन प्रकरण में, इससे बेहतर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। धारा 32(1) के प्रावधान उन नियमों के अतिरिक्त अपवाद हैं जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य को बाहर करते हैं। सामान्य नियम के अनुसार, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए (धारा 60)। धारा 32 के आठ खंड इसके अपवाद माने जा सकते हैं, जो मुख्य रूप से दो शर्तों पर आधारित हैं: साक्ष्य की आवश्यकता और विश्वसनीयता की परिस्थितिजन्य गारंटी। अप्रत्यक्ष साक्ष्य को इसलिए बाहर रखा जाता है क्योंकि इसे पर्याप्त विश्वसनीय नहीं माना जाता। इसे इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि इसमें ग्राह्य साक्ष्य के लिए लागू परीक्षणों, अर्थात् शपथ और प्रति-परीक्षा की मान्यता नहीं होती। किंतु जहां विशेष परिस्थितियां होती हैं जो साक्ष्य को विश्वसनीयता की गारंटी देती हैं, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, भले ही वह किसी अप्रत्यक्ष स्रोत



से हो। उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य विधि के प्रसिद्ध विधिक सिद्धांत में उल्लिखित सिद्धांत पर बल दिया, अर्थात् नेमो मोरिटुरस प्रेसुमिटर मिएंटिरे, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। हमारी भारतीय विधि भी इस तथ्य को मानती है कि "मरते समय व्यक्ति शायद ही कभी झूठ बोलता है" या दूसरे शब्दों में "मरते समय व्यक्ति के जुबान पर सत्यता होती है"। यह तथ्य ही अप्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का अपवाद है। 12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) को प्रसिद्ध रूप से "मृत्युकालिक कथन" धारा के रूप में जाना जाता है, यद्यपि यह वाक्यांश स्वयं साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 32, विशेष रूप से धारा 32(1) के दायरे और सीमा पर कई अवसरों पर विचार किया है, जिसमें **शरद बिरदीचंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116** में प्रकाशित प्रकरण में शामिल है, जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में उल्लिखित सिद्धांतों का सारांश दिया है, जिसमें "घटना की परिस्थितियां" भी शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं:

"21. इस प्रकार, उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की स्पष्ट भाषा का अवलोकन करने पर, निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं:-

(1) धारा 32, अनुश्रुत नियम का अपवाद है और यह मृत व्यक्ति के कथन को ग्राह्य बनाता है, चाहे मृत्यु हत्या हो या आत्महत्या। बशर्ते कि कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो, या मृत्यु की परिस्थितियों को दर्शाता हो। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमारे समाज की विशिष्ट परिस्थितियों और हमारे लोगों के विविध स्वभाव और चरित्र को विचार में रखते हुए, अन्याय से बचने के लिए धारा 32 के दायरे को और व्यापक करने को आवश्यक मानता है।

(2) निकटता का परीक्षण बहुत शाब्दिक रूप से नहीं लिया जा सकता और न ही इसे सार्वभौमिक उपयोग के लिए एक निश्चित सूत्र में बदला जा सकता है, ताकि इसे एक सीमित दायरे में रखा जा सके। समय की दूरी प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी या बदल सकती है। उदाहरण के लिए, जहाँ मृत्यु किसी लंबे समय से चल रहे घटनाक्रम का स्वाभाविक अंत है और कहानी का समापन है, तो घटना के अंत से सीधे जुड़े हर कदम के बारे में कथन ग्राह्य होगा, क्योंकि पूरे कथन को एक समग्र इकाई के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि संदर्भ से अलग करके। कभी-कभी मृत्यु से संबंधित या तत्काल कारण बताने वाले कथन भी मृत्यु की घटना का हिस्सा होने के कारण ग्राह्य हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी कथन मृतका की मृत्यु के बाद ही सामने आते हैं, जो मृत्यु के समय बोलता



है। उदाहरण के लिए, यदि मृत्यु विवाह के कुछ ही समय बाद होती है या समय का अंतर 3-4 माह से अधिक नहीं है, तो धारा 32 के अधीन कथन ग्राह्य हो सकता है।

(3) धारा 32 के खंड (1) का दूसरा भाग यह नियम का एक और अपवाद है कि दाण्डिक विधि में, ऐसे व्यक्ति का कथन जिसका अभियुक्त द्वारा प्रति-परीक्षा नहीं किया गया या उसे प्रति-परीक्षा का अवसर नहीं दिया गया, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्योंकि प्रति-परीक्षा की जगह शपथ की गंभीरता और पवित्रता ले लेती है। इसका सरल कारण यह है कि मरने की कगार पर व्यक्ति झूठा कथन नहीं देगा, जब तक कि यह ठोस साक्ष्य न हो कि कथन देने के लिए उसे उकसाया या सिखाया गया था।

(4) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 32 में केवल हत्या की बात नहीं कही गई है, बल्कि इसमें आत्महत्या भी शामिल है। इसलिए, हत्या के प्रकरण को साबित करने के लिए जो परिस्थितियाँ सुसंगत होंगी, वे आत्महत्या के प्रकरण को साबित करने के लिए भी उतनी ही सुसंगत होंगी।

(5) जहाँ मुख्य साक्ष्य मृतका द्वारा लिखे गए बयानों और पत्रों पर आधारित हो, जो सीधे तौर पर उनकी मृत्यु से संबंधित हों और जो घटना की पूरी कहानी बताते हों, तो ऐसे कथन स्पष्ट रूप से धारा 32 के दायरे में आते हैं और इसलिए ग्राह्य होंगे। ऐसे मामलों में समय का अंतर ही कथन को अमान्य नहीं बना सकता।”

16. पुरुषोत्तम चोपड़ा व एक अन्य विरुद्ध राज्य (दिल्ली एनसीटी सरकार) (2020) 11 489 में प्रकाशित प्रकरण में, मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने, उसकी ग्राह्यता और विश्वसनीयता से संबंधित सिद्धांतों को कण्डिका 21 में इस प्रकार संक्षेप में बताया गया है:

“21. उपरोक्त तथ्यों को विचार में रखते हुए, मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने, उसकी ग्राह्यता और विश्वसनीयता से संबंधित कुछ सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:—

21.1. मृत्युकालिक कथन, यदि न्यायालय का विश्वास प्रेरित करता हो, तो बिना किसी संपुष्टि के भी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।



21.2. न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन देने वाला व्यक्ति कथन देते समय उपयुक्त मानसिक अवस्था में था; और यह कि यह उसका स्वेच्छा से दिया गया कथन था, न कि किसी के सीखाने पढ़ाने या उकसावे या कल्पना का नतीजा।

21.3. यदि मृत्युकालिक कथन संदिग्ध है या उसमें कोई कमी है, जैसे कि कथन देने वाले की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या इस तरह की कोई और कमी, तो बिना किसी और साक्ष्य के उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

21.4. जब प्रत्यक्षदर्शी यह पुष्टि करते हैं कि मृतका कथन देने की स्थिति में नहीं था, तो चिकित्सकीय अभिमत को महत्व नहीं दिया जाएगा।

21.5. विधि में यह व्यक्त नहीं किया गया है कि मृत्युकालिक कथन कौन दर्ज कर सकता है, न ही इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप या प्रक्रिया है। किंतु मृत्युकालिक कथन दर्ज करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि कथन देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है और कथन देने में सक्षम है।

21.6. यद्यपि मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, किंतु इसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह अपेक्षा की जाती है कि मजिस्ट्रेट से ऐसे कथन को दर्ज करने का अनुरोध किया जाए और/या कथन दर्ज करते समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों से उसका सत्यापन कराया जाए।

21.7. जलने के प्रकरण में, जलने का प्रतिशत और गंभीरता, स्वयं में, मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का निर्णायक कारक नहीं होगा; बल्कि, कथन देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति और होश की स्थिति के बारे में साक्ष्यों की गुणवत्ता ही निर्णायक कारक होगी।

21.8. यदि सावधानीपूर्वक जांच के बाद, न्यायालय यह पाता है कि मृत्युकालिक कथन स्वेच्छा से दिया गया था और यह भी पाता है कि सुसंगत और एक जैसा है, तो बिना किसी संपुष्टि के भी, इस आधार पर दोषसिद्धि में कोई विधिक बाधा नहीं है।”

17. जहां कई मृत्युकालिक कथन दिए गए हों, तो परीक्षण यह है कि क्या मृतका के कथन प्रकरण के मुख्य हिस्से के संबंध में झूठे साबित होते हैं। मृत्युकालिक कथन सभी आवश्यक परीक्षणों को पूरा करना



चाहिए और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि यदि एक से अधिक कथन दिए गए हों, तो वे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बातों में एक-दूसरे से मेल खाने चाहिए [देखें: **कमला विरुद्ध पंजाब राज्य, (1993) 1 एससीसी 1**]

18. मोहनलाल गंगाराम गहानी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1982 एससी 839 में प्रकाशित प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त द्वारा मृत्युकालिक कथनों में एक से अधिक कथन हैं, तो समय के हिसाब से पहला कथन मान्य होगा।

19. उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित **मकखन सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य एआईआर 2022 एससी 3793 : 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1019** में प्रकाशित प्रकरण में अपने हालिया निर्णय में कई मृत्युकालिक कथनों के विवाद्यक पर विचार करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“9. इससे यह देखा जा सकता है कि न्यायालय को यह परीक्षण करना होता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और विश्वसनीय है या नहीं; क्या यह किसी ऐसे समय में दर्ज किया गया था जब मृतक शारीरिक और मानसिक रूप से कथन देने योग्य था; क्या यह किसी सीखा पढ़ा कर /दबाव डालकर/उकसाकर लिया गया था। मृत्युकालिक कथन यदि यह भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है, तो इसकी संपुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। यदि कई मृत्युकालिक कथन दिए गए हों और उनमें कुछ मतभेद हों, तो मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जा सकता है। यद्यपि, यह इस शर्त पर है कि कथन की सत्यता पर कोई संदेह पैदा करने वाली कोई स्थिति न हो। यदि ऐसी स्थिति है जिसमें यह पाया जाता है कि कथन स्वेच्छा से नहीं दिया गया था और उसका समर्थन करने के लिए कोई और साक्ष्य नहीं है, तो न्यायालय को हर प्रकरण के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि किस कथन पर विश्वास किया जा सकता है।”

xxx

xxx

xxx

20. इसलिए, हम पाते हैं कि इस प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श DO/C) द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श PE) की तुलना में अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद माना जाएगा। किसी भी स्थिति में,



विचारण न्यायालय ने दूसरे अभियुक्त को जो संदेह का लाभ दिया है, वह भी वर्तमान अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य बिल्कुल एक जैसे थे।”

20. इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने **लक्ष्मण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य** (2002) 6 एससीसी 710 में प्रकाशित प्रकरण में, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सक का प्रमाण पत्र मुख्य रूप से सावधानी का नियम है और इसलिए, घोषणा की स्वेच्छा और सत्यता को दूसरे तरीके से भी साबित किया जा सकता है। माननीय न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के कण्डिका 5 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

“5. इस प्रकरण में न्यायालय ने हरजीत कौर विरुद्ध पंजाब राज्य [(1999) 6 एससीसी 545] में अपने निर्णय का अवलंब लिया। इसमें मजिस्ट्रेट ने अपने कथन में कहा था कि उसने चिकित्सक से यह पता किया था कि क्या वह कथन देने की स्थिति में है और इस संबंध में एक सहमति पत्र लिया था। सिर्फ इसलिए कि सहमति पत्र कथन पर नहीं बल्कि आवेदन पर था, इससे मृत्युकालिक कथन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। पहले बताए गए कारणों से, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पापारामबका रोसामा विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य [(1999) 7 एससीसी 695] (एससीसी पृष्ठ 701, कण्डिका 8) में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि "कथन देने के समय आहत व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र न होने पर, मजिस्ट्रेट का यह अभिमत है कि आहत व्यक्ति कथन देने के समय सही मानसिक स्थिति में था, मानना बहुत जोखिम भरा होगा" बहुत व्यापक है और यह विधि का सही नियम नहीं है। यह एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण है कि चिकित्सक का प्रमाणपत्र यह था कि मरीज होश में था, न कि यह कि वह सही मानसिक स्थिति में था, विशेषतया जब मजिस्ट्रेट ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने मरीज से जो प्रश्न पूछे और उसके जवाबों से वह संतुष्ट था कि मरीज सही मानसिक स्थिति में था, जिसके बाद उसने मरने वाले का कथन दर्ज किया। अतः पापारामबका रोसामा (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय सही नहीं माना जाना चाहिए और हम कोली चनिलाल सावजी विरुद्ध गुजरात राज्य [(1999) 9 एससीसी 562] में इस न्यायालय द्वारा बताए गए विधि की पुष्टि करते हैं।”





21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जगबीर सिंह विरुद्ध स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2019) 8 एससीसी 779 में प्रकाशित प्रकरण में लक्ष्मण (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुपालन करते हुए स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सक का प्रमाणपत्र न होने से भी मृत्युकालिक कथन को मानने में कोई समस्या नहीं होती। यद्यपि, यह आवश्यक है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि मरीज मृत्युकालिक कथन देने में मानसिक और शारीरिक रूप से उपयुक्त अवस्था में था।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा पूर्ववर्ती निर्णयों में प्रतिपादित किए विधिक सिद्धांतों के आलोक में लौटते हुए, इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखें तो यह स्पष्ट है कि मृतका राधाबाई का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पूर्व, डॉ. अजीम आलम (अ.सा.11) द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि मरीज कथन देने हेतु उपयुक्त है। तत्पश्चात, कार्यपालक मजिस्ट्रेट उमंग जैन (अ.सा.12) ने मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-17) दर्ज किया। इसमें मृतका ने स्पष्ट कथन किया है कि दोपहर 1 बजे उसकी सास (मंगलबाई) और पति (धनेश्वर यादव) ने उस पर मिट्टी तेल डाला और उसे आग लगा दिया। यह झगड़ा लंबे समय से चल रहा था। अपने मृत्युकालिक कथन में उसने अपने पति और सास को दोषी ठहराया है। विचारण न्यायालय के समक्ष डॉ. अजीम आलम (अ.सा.11) के परीक्षण के दौरान, न तो अभियोजन और न ही बचाव पक्ष ने इस साक्षी से यह पूछा कि क्या मृतका राधाबाई कथन देने हेतु उपयुक्त अवस्था में थी या नहीं। इसके अतिरिक्त, मृत्युकालिक कथन के परिशीलन से सुस्पष्ट है कि उक्त चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं, जिससे ज्ञात होता है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय वह उपस्थित था और उसने यह अभिमत दिया था कि मृतका मृत्युकालिक कथन देने हेतु उपयुक्त थी। डॉ. अजीम आलम (अ.सा.11) और कार्यपालक मजिस्ट्रेट उमंग जैन (अ.सा.12) के कथनों से यह साबित नहीं होता कि मृतका शारीरिक और मानसिक रूप से मृत्युकालिक कथन देने की अवस्था में नहीं थी और उसने कोई मृत्युकालिक कथन नहीं दिया था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शासकीय अधिकारी है और उसका किसी भी पक्ष से कोई निजी हित नहीं है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठा कथन क्यों दिया होगा। चूंकि, अभिलेख में यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि राधाबाई (मृतका) ने मृत्युकालिक कथन दिया था और उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-17) सत्य है और स्वेच्छा से दिया गया है।

23. कमलेश गबेल (अ.सा.7), जो उस समय गांव का सरपंच था, ने कथन किया कि घटना सितंबर 2021 की है। अभियुक्त धनेश्वर और उसकी पत्नी राधाबाई (मृतका) में झगड़ा हो रहा था, तो राधाबाई गांव के कोतवार नारायण दास को अपने घर ले गई और कहा कि उसका पति उससे झगड़ा करता है, इसलिए वह अब यहां नहीं रहेगी, उसने उसे यह बात लिखवाने को कहा। फिर वह और रथराम बरेठ,



ननकीदाऊ बरेठ और गांव का कोतवार मिलकर अभियुक्त के घर गए और धनेश्वर की पत्नी राधाबाई से झगड़े का कारण पूछा। उसने कहा कि उसका पति छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता है, इसलिए वह अब यहां नहीं रहेगी, वह अपने मायके चली जाएगी। सुबह से राधाबाई अपने साथ मिट्टी तेल लेकर घूम रही थी, फिर उसने राधाबाई को अपने मोबाइल से उसके पिता से बात करवाई, तो उसके पिता ने कहा कि वह अभी यहां नहीं है, बाद में आएगा। फिर उभयपक्ष को समझाकर वे अपने-अपने घर चले गए। लगभग 15-20 मिनट बाद अभियुक्त धनेश्वर उसके पास आया और बताया कि मृतका ने दरवाजा बंद कर लिया और स्वयं को आग लगा लिया। फिर उसने अभियुक्त धनेश्वर से एम्बुलेंस बुलाने को कहा, तो उसने कहा कि धनेश्वर ने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली है। धनेश्वर अपनी पत्नी को एम्बुलेंस से सक्ति अस्पताल ले गया, बाद में वे मोटरसाइकिल से उसे देखने सक्ति अस्पताल गए।

24. अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और जब उससे कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे गए तो उसने बताया कि दिनांक 01.09.2021 की सुबह, राधाबाई और धनेश्वर यादव के मध्य झगड़ा हुआ था। जानकारी मिलने पर वह अभियुक्त के घर गया और धनेश्वर यादव और उसकी पत्नी राधाबाई को लड़ाई-झगड़ा न करने की सलाह देकर वापस आ गया। जब वह अभियुक्त के घर गया और कमरे के अंदर देखा तो राधाबाई जलने की अवस्था में पड़ी थी।

25. प्रति-परीक्षा में, इस साक्षी ने कथन किया कि राधाबाई कभी भी दहेज के संबंध कोई शिकायत लेकर उसके या पंचायत के पास नहीं आई। घटना वाले दिन भी उसने दहेज से संबंधित कोई शिकायत नहीं की। जब उसने झगड़े का कारण पूछा, तो राधाबाई बार-बार यही कहती रही कि उसके कागजात पूरे कर दें, वह अपने मायके चली जाएगी। उसे पता चला कि राधाबाई का कोरबा के एक व्यक्ति से प्रेम-संबंध था। जब उसने फोन पर राधाबाई को उसके मायके वालों से बात करने को कहा, तो उसने अपने माता-पिता से कहा कि यदि धनेश्वर उसे मायके नहीं भेजता, तो वह स्वयं को आग लगा लेगी। जब वह राधाबाई को समझाने उसके घर गया, तब भी वह ऐसी अवस्था में थी कि उसने स्वयं के ऊपर मिट्टी तेल डाल लिया था। सक्ति अस्पताल में, राधाबाई ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे मायके जाने नहीं दिया, इसलिए उसने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर स्वयं को आग लगा ली, किंतु सक्ति अस्पताल के चिकित्सक, मृतका के माता-पिता और मृत्यु के समय मृतका के कथन से इस बात का समर्थन नहीं होता और यह भी कोई साक्ष्य नहीं है कि उसे यह किसने बताया कि मृतका का प्रेम-संबंध किससे था, इसलिए इस साक्षी का कथन विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह संदिग्ध है।

26. बचाव साक्षी नारायण दास महंत (ब.सा.-1) ने बताया कि घटना सितंबर 2021 की है। धनेश्वर उसके पास आया था। उसने कहा कि उसके घर में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया है। फिर वह, सरपंच कमलेश गबेल और लिट्टू बरेठ धनेश्वर के घर गए। उस समय मंगली बाई बच्चों के साथ पड़ोसी के



घर गई थी। जब वे धनेश्वर के घर पहुंचे तो उसकी पत्नी राधा बाई स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर बैठी हुई थी। जब उन्होंने पूछा कि मिट्टी तेल क्यों डाला, तो उसने कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसके लिए जाने के कागजात बनवा दो। इसके बाद सरपंच कमलेश गबेल ने राधा बाई के पिता को फोन किया, फोन स्पीकर पर रखा और उनके सामने राधा बाई के पिता से बात की। सरपंच कमलेश गबेल ने राधा बाई के पिता से कहा कि राधा बाई अब यहां नहीं रहना चाहती, आप लोग आइए। फिर राधा बाई के पिता ने फोन पर राधा बाई से कहा कि वह अभी काम में व्यस्त है, आज नहीं आ सकता, परसों आएगा। तब राधा बाई ने कहा कि आज ही निर्णय कर लो, वरना वह स्वयं को आग लगा लेगी। इसके बाद उन्होंने राधा बाई को समझाया और वहां से चले गए। वह, सरपंच कमलेश गबेल और गांव के दूसरे लोग अपने-अपने घरों को चले गए। लिट्टू बरेठ धनेश्वर के घर के बाहर उसके साथ बातचीत करता रहा। कुछ देर बाद, लगभग 15-20 मिनट के बाद, गांव का एक बालक आया और बताया कि राधा बाई ने स्वयं को आग लगा ली है, फिर वह धनेश्वर के घर गया। कुछ देर बाद पुलिस आई। राधा बाई को सक्ति अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद वह घर आया। राधा बाई ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डाला और आग लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रति-परीक्षा में, उसने कथन किया कि मृतका राधा बाई आंगनबाड़ी सहायिका के तौर पर काम करती थी और अपना घर चलाती थी। अभियुक्त धनेश्वर यादव शराब पीता है और कोई काम नहीं करता है। अभियुक्त धनेश्वर यादव शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। मैंने सुना है कि वह अवसर मिलने पर ऐसा करता था, किंतु मैंने नहीं देखा। इस तरह, इस साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया कि उसने राधा बाई को अपने ऊपर मिट्टी तेल डालते और आग लगाते देखा और मृतका के पिता महादेव यादव (अ.सा.4) के कथन से भी इसका समर्थन नहीं होता, इसलिए उसका कथन विश्वसनीय नहीं है, यह संदिग्ध है।

27. एक अन्य बचाव साक्षी, रथराम उर्फ लिट्टू (ब.सा.-2) ने कथन किया कि घटना 01 सितंबर 2021 को हुई थी। राधा बाई अपने पति से मायके जाने को लेकर झगड़ रही थी। धनेश्वर उन्हें बुलाने आया था कि वे उसकी पत्नी को समझाएं, फिर वह, सरपंच कमलेश गबेल और कोतवार नारायण दास धनेश्वर के घर गए। जब वे धनेश्वर के घर पहुंचे, तो राधा बाई के पास मिट्टी तेल लेकर बैठी थी। उन्होंने उसे समझाया और धनेश्वर के मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने कमलेश गबेल के मोबाइल से राधा बाई के पिता को फोन किया। फोन स्पीकर पर था, इसलिए उन्होंने राधा बाई के पिता की बात सुनी। उन्होंने पिता को बताया कि राधा बाई मिट्टी तेल लेकर बैठी है क्योंकि वह मायके जाने पर अड़ी है, तो उसके पिता ने राधा बाई को समझाया कि ऐसा कोई गलत काम न करे, तब राधा बाई ने कहा कि उसे आज ही ले जाओ, वरना वह स्वयं को आग लगा लेगी, तो उसके पिता ने कहा कि मैं कल लेने आऊंगा, कोई गलत गलत कदम मत उठाना इसके बाद उन्होंने राधा बाई को समझाया और कमलेश गबेल और कोतवार अपने घर चले गए। वह और धनेश्वर धनेश्वर के घर के बाहर बात कर रहे थे और राधा बाई से नहाने के लिए कहा। कुछ देर बाद राधा बाई जोर से चिल्लाई। घर का दरवाजा बंद था।



चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह और धनेश्वर कमरे की ओर गए। धनेश्वर ने दरवाज़े पर लात मारी और खोला। कुण्डी लगी थी और दरवाज़ा खुल गया। धनेश्वर राधा बाई पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयत्न कर रहा था। उसने मना कर दिया और कहा कि उसे चादर से ढककर आग बुझाओ। इसके बाद धनेश्वर ने एम्बुलेंस बुलाई और गांव के लोग जमा हो गए। राधाबाई को एम्बुलेंस से सक्ति अस्पताल ले जाया गया। धनेश्वर ने राधाबाई को एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोग भी उसके साथ सक्ति अस्पताल गए। सक्ति अस्पताल में राधाबाई का उपचार शुरू हुआ और पुलिस भी वहां पहुंच गई। राधाबाई ने चिकित्सक और पुलिस वाले को बताया कि उसे मायके जाने नहीं दिया गया, इसलिए उसने अपने ऊपर मिट्टी तेल डाला और आग लगा ली। प्रति-परीक्षा में उसने कथन किया कि मृतका शाला में भोजन बनाती थी और उसी की कमाई से घर चलता था। मृतका के अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने और बैठने की जानकारी न तो उसने, न कोतवार ने और न ही सरपंच ने थाना को दी। इस प्रकार, इस साक्षी ने भी अपने कथन में यह नहीं बताया कि उसने राधाबाई को अपने ऊपर मिट्टी तेल डालते और आग लगाते देखा। मृतका के पिता महादेव यादव (अ.सा.4) के कथन से भी इसका समर्थन नहीं होता। उसने कहा कि मृतका के अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने और बैठने की जानकारी न तो उसने, न कोतवार ने और न ही सरपंच ने थाना को दी, इसलिए उसका कथन संदिग्ध है और विश्वसनीय नहीं है।

28. अभियोजन साक्षियों के कथनों और की गई विवेचना से यह स्पष्ट है कि गोपीराम (अ.सा.1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि जब उसने राधाबाई से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ और वह कैसे जल गई, तो राधाबाई ने बताया कि उसके पति ने उस पर मिट्टी तेल डालकर जलाया था। दयामती (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा कि जब उन्होंने शासकीय अस्पताल सक्ति में राधाबाई से पूछताछ किया था, तो उसने बताया था कि उसके पति धनेश्वर यादव और सास मंगली बाई ने कहा कि वह अपने मायके से पैसे नहीं ला रही थी, इसलिए उन्होंने उसका बच्चा छीन लिया, उस पर मिट्टी तेल डाला और आग लगा दी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। राजेश्वर प्रसाद यादव (अ.सा.3) ने भी अपने कथन में कहा कि उसने अपनी बहन (मृतका) से बात की थी और उसकी बहन ने बताया था कि उसके पति और सास ने उस पर मिट्टी तेल डाला और आग लगा दी।

29. मृतका के पिता महादेव यादव (अ.सा.4) ने अपने कथन में कहा कि वे सक्ति के अस्पताल में मृतका से मिले थे। उसका शरीर पूरी तरह जल गया था, वह बोल पा रही थी। उसकी पुत्री ने बताया कि उसके पति और सास ने उसे जला दिया था, क्योंकि वह अपने मायके से पैसे लाने को कह रहे थे। मृतका की माँ शरण कुंवर यादव (अ.सा.5) ने अपने कथन में कहा कि वे सक्ति के अस्पताल में मृतका से मिले थे। उसका शरीर पूरी तरह जल गया था, वह बोल पा रही थी। उसकी पुत्री ने बताया कि उसके पति और सास ने यह कहते हुए कि वह अपने मायके से पैसे लेकर आए उसे जलाया था। सुमित्रा यादव (अ.सा.8) ने अपने कथन में कहा कि जब राधाबाई का उपचार रायपुर में चल रहा था, तो वह राधाबाई



से मिलने रायपुर गई थी। राधाबाई से पूछने पर उसने बताया कि उसके पति ने उसे जला दिया था और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था।

30. प्रकरण में अभियुक्त के मेमोरेण्डम के आधार पर, घटना में उपयोग की गई माचिस की तिली की बरामदगी अभियुक्त की घटना में शामिल होने का परिस्थित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यह साबित हो गया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त के घर के कमरे से एक अधजला चौकोर प्रिंट वाला कंबल, एक अधजली मटमैले रंग की पेंट, हरे रंग की साड़ी का अधजला टुकड़ा और मिट्टीतेल की गंध वाली हरे रंग की प्लास्टिक की स्प्राइट बोतल बरामद की गई थी। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी.31 में, जप्त कंबल (प्रदर्श A), कंबल (प्रदर्श B), पूरी पेंट (प्रदर्श C), अधजली साड़ी (प्रदर्श D) और हरे रंग की प्लास्टिक स्प्राइट बोतल (प्रदर्श E) में मिट्टी तेल के निशान पाए गए हैं।

31. इस प्रकरण में यह साबित होता है कि घटना स्थल अभियुक्त के घर से मिट्टी तेल की गंध वाली स्प्राइट की बोतल और माचिस जप्त की गई थी। जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्तों ने मिलकर अपराध कारित करने का आशय बनाया था और उसी के अग्रसरण में उन्होंने साशय मृतका की हत्या की। इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 की सहपठित धारा 34 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होता है।

32. उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के उचित विवेचना पर आधारित है, जो न तो अनुचित है और न ही अभिलेख या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, अपीलार्थीगण **धनेश्वर यादव व मंगली बाई** को दिए गए दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

33. फलस्वरूप, वर्तमान दण्डिक अपील एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है। अपीलार्थीगण के कारावास में निरुद्ध होने की सूचना मिली है। उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश की शेष अवधि कारावास में ही भुगतनी होगी।

34. रजिस्ट्री को यह निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक जहाँ अपीलार्थीगण अपना दण्ड भुगत रहे हैं, को प्रेषित की जाए। उन्हें यह भी सूचित किया जाए कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।



35. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि एवं मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/-
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

